


उपखण्ड अधिकारी

(नियम 26)

किसी आदेश उपखण्ड अधिकारी
बडीसादडी (विपक्षीय) मुकाम
अदालत बरनाम मोगु
 किसिम मुकदमा श.फा 128 LRA सं. 67/2018 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
27.4.18	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. अर एक्ट का बाद जाच पेश हुआ, जिसे दर्ज मान्यता किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा <u>भुरडिना कला</u> की आन <u>96, 97, 98, 113, 114, 115, 116</u> 117 <u>की</u> <u>6-87 ई.</u> विभिन्न आराजीयात की 'पत्थरगढी' विपक्षीगणों की मौजुदगी में की जावे। प्रार्थी से कमीशनरी फिस रूपये <u>2500/-</u> उस्तूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें। पत्रावली में हुकमनाना जारी होकर कसत हुमार होकर नम्बर से कम हों।</p>	 <p>Web Copy - Not Official</p>

उपखण्ड अधिकारी
 बडीसादडी